फर्द अहकाम

नाम न्यायालय नायब तहसीलदार बनाम रघुनाथराम

केस संख्या प्रा.पत्र 207/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/12/18	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान मौजूदगी उपस्थित हुआ प्रार्थना-पत्र 07/11 अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. की स्वीकार होने हेतु बाद स्वाधीन किया जाकर प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना-पत्र बाबत अस्वीकृत किये जाने अन्तर्गत धारा 12 (1) (ए) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner